झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (बजट) सत्र

वर्ग-2

04 फाल्गुन, 1937(श0)
.... को

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार दिनांक 23 फरवरी, 2016(ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
	2.	3.	4.	5.	6.
"क"06-	**अ0सू0-11**	**श्री राजकुमार यादव**	**समायोजन/ नियमितिकरण करना**	**वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन**	**09.02.16**
36-	अ0सू0-24	श्रीमती गीता कोड़ा	औषधीय पौधों का व्यवसायिक उपयोग	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।	16.02.16
37-	अ0सू0-19	श्री प्रदीप यादव	परिषद् की स्वायत्ता	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.16
38-	अ0सू0-08	श्री बिरंची नारायण	निजी स्कूलों के मनमानी को रोकना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.16
39-	अ0सू0-12	श्री राधाकृष्ण किशोर	पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य	11.02.16
40-	अ0सू0-23	श्री संजीव सिंह	पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना।	पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य	15.02.16

कृ0पृ0उ0-

उ०प्र० 41-	अ०सू०-21	श्री प्रदीप यादव	केन्दुपत्ता संग्रहण एवं भंडारण	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।	15.02.16
उ०प्र० 42-	अ०सू०-07	श्री बिरंची नारायण	खान एवं भूतत्व विभाग के रिक्त पदों पर बहाली।	खान एवं भूतत्व	11.02.16
उ०प्र० 43-	अ०सू०-29	श्री शिवशंकर उराँव	राजस्व संग्रहण करना	पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य	18.02.16
उ०प्र० 44-	अ०सू०-20	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	कोचिंग संस्थानों का संचालन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा)	15.02.16

नोट :- "क" 06 दिनांक- 16 फरवरी, 2016 को सदन से स्थगित

राँची
दिनांक- 23 फरवरी, 2016

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्रश्न-04/2015....1333..../वि०स०, राँची, दिनांक- 22/2/16

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मा० मुख्यमंत्री/ मा० मंत्रिगण/ मा० संसदीय कार्य मंत्री/ मा० नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 20/02/16

(संजीत कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्रश्न-04/2015....1333..../वि०स०, राँची, दिनांक- 22/2/16

प्रति :- मा० अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 20/02/16

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्रश्न-04/2015....1333..../वि०स०, राँची, दिनांक- 22/2/16

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 20/02/16

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

20/02/16

उत्तर मुद्रित

समायोजन/नियमितीकरण करना ।

"क" 06. श्री राजकुमार यादव--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, राँची में कार्यरत 58 आकस्मिक कर्मचारियों में पाँच कर्मचारियों को मूल वेतनमान के साथ अन्य सभी भत्ते दिये जा रहे है और शेष को नहीं दी जा रही है ?

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-15/नीति-07-04/2014 का-1348/राँची दिनांक 13 फरवरी, 2015 के घोषणा में नियमित/अनियमित कर्मचारियों की नियमित एक साल के अन्दर करने का आवश्वासन दिया गया था, इसे पर्षद् द्वारा कब लागू किया जायेगा ?

(3) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, राँची के 14वीं बैठक दिनांक 25 अप्रैल, 2008 की कार्यावली संख्या-23 में आकस्मिक कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ अन्य सभी भत्ते (वेतनावृद्धि छोड़कर) देने का निर्णय लिया गया है, को लागू नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, राँची में कार्यरत सभी आकस्मिक कर्मचारियों को जिसका सेवा 10 साल से अधिक है को समायोजन/नियमितीकरण करने तथा अन्य सभी भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री:- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के लिए अधिसूचना संख्या-1348 दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा एक नियमावली अधिसूचित की गई है ।

2. इस नियमावली के नियम 3 (ख) (iii) के तहत् समिति का गठन करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसे 31 मार्च, 2016 तक अधिसूचित कर दिया जायगा ।

3. इस समिति की अनुशंसा के आधार पर नियमितीकरण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(3) अस्वीकारात्मक ।

संबंधित विषय पर स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

(4) स्थिति कंडिका-2 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है ।

---

(36)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक 23.02.2016 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–24 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की कुल क्षेत्रफल का 29.61 प्रतिशत वन क्षेत्र है, इन वनों में औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाये जाते है;	उत्तर अंश स्वीकारात्मक है। राज्य के वनों में औषधीय पौधे पाये जाते हैं। औषधीय पौधों की प्रजाति एवं मात्रा का सही–सही आकलन अभी नहीं हुआ है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले औषधीय पौधों के व्यावसायिक उपयोग तथा रोजगार प्रोत्साहन हेतु वन विभाग द्वारा औषधीय पौधों का संरक्षण, उनका रोपण, पौधशालाएँ तैयार करना एवं प्रचार-प्रसार आदि कार्य वर्ष–2010–11 में प्रारंभ किया गया जो प्रभावी नहीं है;	औषधीय पौधों के उपयोग को प्रोत्साहन देने एवं उनकी सुलभ उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा औषधीय पादप पर्षद के सहयोग से प्रायोगिक तौर पर कुछ वन प्रमण्डलों में औषधीय पौधों की पौधशाला एवं वनरोपण कार्य किये गये हैं।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले औषधीय पौधों के व्यावसायिक उपयोग तथा रोजगार प्रोत्साहन की योजनाओं को प्रभावी बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह विषय मुख्य रुप से औषधीय पादप पर्षद से संबंधित है, जो स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन है ।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न सं०–30/2016– 1005 व0प0, राँची, दि०– 22/02/2016

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–965, दिनांक–16.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/2/16

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(37)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-19

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एक स्वायत्ता शासी संस्था है जिसकी अपनी सेवा शर्त एवं नियमावली है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत् एक निबंधित संस्था है, जिसके द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संपोषित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि परिषद् में सीधी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर ही कर्मियों की नियुक्ति करने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नियुक्ति तरीकों के अलावे भी सरकार मनमाने ढंग से पदाधिकारियों का स्थानांतरण के माध्यम से नियम विरूद्ध पदस्थापित करती रही है ;	अस्वीकारात्मक है।
4.	अगर उपर्युक्त सभी खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियमविरूद्ध स्थानांतरित पदाधिकारियों को अविलम्ब हटाते हुए परिषद् की स्वायत्ता बहाल रखना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में उत्तर निहित है।

19/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.....284...../ राँची, दिनांक.....19/12/...2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 468, दिनांक 11.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(38)

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-08

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों की मनमानी रोकने हेतु झारखण्ड रेगुलेशन फॅार कंट्रोल ऑफ फीस एक्ट लागू करने की बात कही थी ?	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी0एम0ए0 पाई बनाम, कर्नाटक राज्य एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट पेटिशन (पी0आई0एल0) संख्या-2744/2003 एवं डब्लू0 पी0 (पी0आई0एल0) संख्या-2537/2002 में दिनांक 5 अगस्त, 2003 को दिये गये ओदश के अनुरूप सहायता प्राप्त, सम्बद्ध एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता एवं अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में अभिहित एक वैधिक फोरम की स्थापना के लिए झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि अब तक उक्त एक्ट को प्रभावी नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब पुनः शैक्षणिक सत्र 2016-17 में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की मनमानी का शिकार होना पड़ेगा, जिससेपूर्ववत समस्या बनी ही रहेगी ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड 1 में सन्निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शैक्षणिक सत्र 2016-17 के पूर्व उक्त एक्ट को लागू कर राज्य के निजी स्कूलों के मनमानी को रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण को राज्य सरकार द्वारा और सुदृढ़ किया जा रहा है।

19/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.....296...../ **राँची,** **दिनांक**.....19/2/.....**2016**

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 377, दिनांक 11.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

(39)

श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.02.2016 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–12 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		**मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।**
1.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के बभंडी ग्राम में अवस्थित राधाकृष्ण मंदिर परिसर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना वर्ष 2013–14 से सरकार के पास प्रस्तावित है ?	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि उपसचिव, पर्यटन विभाग, राँची के पत्रांक–1057, दिनांक–15.06.2014 के आलोक में उपायुक्त, पलामू के द्वारा बभण्डी ग्राम में अवस्थित राधाकृष्ण मंदिर परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का एक विस्तृत प्रतिवेदन पत्रांक–1018, दिनांक–29.09.2014 के द्वारा प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, राँची को प्रेषित किया गया है ?	2.	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राधाकृष्ण मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	वस्तुस्थिति यह है, कि – i. उपायुक्त, पलामू से प्राप्त प्राक्कलन में जाँच के क्रम में प्राप्त त्रुटियों के सुधार हेतु उपायुक्त, पलामू को अनुरोध किया गया है। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित अग्रेतर कार्रवाई संभव है। ii. प्रश्नाधीन स्थल पर विभागीय पत्रांक–76, दिनांक–08.01.2016 द्वारा टॉयलेट ब्लॉक एवं कॅवर्ड स्टेज निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए उपायुक्त, पलामू को रू० 41,48,800.00 लाख (एकतालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र आवंटित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 16 / 2016 349 / राँची, दिनांक 19/2/16 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–397 / वि०स०, दिनांक–11 / 02 / 2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/16

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

श्री संजीव सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.02.2016 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–23 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		**मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।**
1.	क्या यह बात सही है कि, राज्य का नाम यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य को देखकर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र के संदर्भ में रखा गया है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि, आजतक राज्य में पहाड़ी और वन क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से अभी तक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है ;	2.	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य की स्थापना से ले कर आजतक लगातार राज्य के पहाड़ी एवं वन क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि, सीमावर्ती एवं अन्य राज्य जैसे–हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी ईलाके के अनुरूप झारखण्ड में भी पर्यटन हेतु विकास किया जाना चाहिए ;	3.	राज्य में लागू पर्यटन नीति 2015 में पर्यटन विकास का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ वन विभाग द्वारा भी ईको टूरिज़्म के प्रक्षेत्र में विकास हेतु पर्यटन विभाग के साथ विकासात्मक कार्य किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्य राज्य यथा सिक्किम हिमाचल प्रदेश के समतुल्य झारखण्ड के पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	4.	उपरोक्त कंडिका (2) एवं (3) उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 25 / 2016......361....... **/ राँची, दिनांक**......22/02/16...................../

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–854 / वि०स०, दिनांक–15 / 02 / 2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/2016

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

(41)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.02.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वन विकास निगम वित्तीय वर्ष 2002 से 2015 तक कुल 231 करोड़ रू0 का लाभ अपने कार्यो का सफलता पूर्वक निर्वाहन करते हुए किया है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2002 से 2015 तक झारखण्ड राज्य वन विकास निगम द्वारा कुल 231.97 करोड़ रू0 की केन्दुपत्ती की बिक्री की गयी है, जो निगम का शुद्ध लाभ नहीं है।
(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य केन्दुपत्ता नीति 2015 के कंडिका 13(2) में उल्लेखित "अविक्रित इकाईयों में केन्दुपत्ता के संग्रहण एवं भण्डारण वन निगम के बदले वन विभाग के पदाधिकारियों को दिया जाएगा साथ ही संग्रहण एवं भण्डारण हेतु खर्च भी वन विभाग को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी ?	झारखण्ड राज्य केन्दू पत्ता नीति, 2015 का उद्देश्य केन्दु पत्ता व्यापार में ठेकेदारों की भूमिका नगण्य करना, केन्दु पत्ता प्राथमिक संग्राहकों को केन्दुपत्ती संग्रहण के बदले उचित मजदूरी भुगतान कर उनके हितों की रक्षा करना है, ताकि केन्दु पत्ती से उनकी आय में वद्धि हो सके, विपणन से प्राप्त राशि का अधिक से अधिक लाभांश प्राथमिक संग्राहको एवं केन्दुपत्ता समितियों को सीधे राशि अंतरण द्वारा उपलब्ध कराना तथा केन्दुपत्ता व्यापार को पारदर्शी एवं लोकन्मुख बनाना है। वर्ष 2002 से वर्ष 2015–16 तक निगम द्वारा राज्य में औसत 37.87 प्रतिशत केन्दुपत्ता लौट की बिक्री नहीं की गयी जिसके कारण इन क्षेत्रों के प्राथमिक संग्राहको को केन्दुपत्ता संग्रहण से प्राप्त होने वाला लाभ उन्हें नहीं मिला तथा उनकी आय में वृद्धि नहीं हो सकी । अविक्रित केन्दू पत्ती के संग्रहण हेतु झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0 के पास पर्याप्त पदाधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। वन निगम द्वारा वर्ष 2002 से अभी तक अविक्रित केन्दू पत्ती प्रचयों में केन्दू पत्ती का संग्रहण नहीं किया गया, जिस कारण इन क्षेत्रों के प्राथमिक संग्राहक केन्दू पत्ती के संग्रहण मूल्य से लगातार वंचित रह रहे है। प्रश्नगत नीति द्वारा केन्दुपत्ती प्राथमिक संग्राहको को केन्दुपत्ती संग्रहण के लिए शत प्रतिशत मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्दुपत्ता नीति, 2015 में अविकित केन्दुपत्ता प्रचयों (Lot) में केन्दुपत्ता संग्रहण का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से अविकित केन्दुपत्तों प्रचयों में भी राज्य के केन्दुपत्ता प्राथमिक संग्राहको को केन्दुपत्ती संग्रहण का उचित मुल्य प्राप्त हो सकेगा तथा उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 की धारा–4 के तहत् राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य वन विकास निगम को Agent घोषित किया गया है। बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) नियमावली, 1973 की कंडिका–9 के प्रावधानों के तहत इन अविक्रित केन्दू पत्ता प्रचयों में संग्रहित केन्दू पत्ते की बिक्री झारखण्ड राज्य वन विकास निगम द्वारा ही की जायेगी।
(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित धारा से वन निगम कर्मीगण अपने को ठगा और अपमानित महसूस कर रहें है ?	अस्वीकारात्मक है। उपरोक्त प्रावधान अविक्रय Lots के क्षेत्र में रहने वाले प्राथमिक संग्रहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है ।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार है, अविलम्ब उपरोक्त कंडिका को निरस्त करते हुए केन्दुपत्ता संग्रहण एवं भंडारण का खर्च एवं रख–रखाव वन निगम कर्मियों को पुनः देने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर के आलोक में झारखण्ड राज्य केन्दू पत्ता नीति, 2015 की कंडिका 13(2) को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न –29/2016– 1004 व0प0, राँची, दि०– 22/02/2016

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–855 दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार) 22/2/16

(42)

श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–07

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि खान विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में मैनपावर की भारी कमी है एवं खान इंस्पेक्टर के 31 पद, जियोलॉजिकल ऑफिसर के 18 पद, एडीएमओ के 13, डीएमओ के 5 पद, भूतात्विक विश्लेषक के 18 पद, लिपिक के 52 पद तथा अन्य 42 पद खाली हैं;	उत्तर स्वीकारात्मक हैं। वस्तुस्थिति यह हैं कि डी०एम०ओ० के 18 पद, ए०एम०ओ० के 18 पद, खान निरीक्षक के 39, जियोलॉजिकल ऑफिसर (भूतत्ववेत्ता) के कुल 18 पद, एवं भूतात्विक विश्लेषक के 29 पद, लिपिक के 44 पद तथा अन्य 138 तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पद रिक्त हैं।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के बाद यहाँ उक्त पदों पर बहाली नहीं हुई है एवं जो लोग पूर्व से कार्यरत थे, उसमें भी अधिकांश रिटायर हो गए हैं;	उत्तर आशिंक रूप से अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2013 में भूतत्ववेत्ता के कुल 17 पदों पर नियुक्ति की गई हैं।
3-	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में खान का कारोबार बढ़ने और मैनपावर की कमी के कारण राजस्व की वसूली एवं अन्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक हैं। वस्तुस्थिति यह है कि गत वित्तीय वर्ष 2014–15 माह जनवरी 2015 तक कुल 2536.26 करोड़ रू0 का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि इस वित्तीय वर्ष में माह जनवरी 2016 तक कुल 3798.25 करोड़ रू0 का राजस्व प्राप्त हुआ है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक हैं।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पदों पर शीघ्र बहाली करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त खण्ड 1, 2 के संबंध में वस्तुस्थिति यह हैं कि भूतत्ववेत्ता के 18 पदों, एएमओ के 13 पद एवं डीएमओ के 5 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना लोक सेवा आयोग को एवं भूतात्विक विश्लेषक के 29, खान निरीक्षक के 31 एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 39 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी हैं।

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
(खान एवं भूतत्व प्रभाग)

ज्ञापांकः– वि0स0(अ0सू0)–15/16 262 /एम0, राँची दिनांक– 21-2-16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 369 दिनांक 11.02.16 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.2.16

(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

(43)

श्री शिवशंकर उरॉव मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 23.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० 29 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	**उत्तर दाता**
श्री शिवशंकर उरॉव, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के राँची में 40,000 दर्शक क्षमता वाला अंतराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बना है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त क्रिकेट स्टेडियम में लगातार अंतराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों का आयोजन होता रहा है;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार को उपर्युक्त 40,000 सीटों में से मात्र 20,000 टिकटों का ही राजस्व मिलता है और शेष टिकटों को सौहार्द (कम्पलीमेंट टिकट) टिकट के रूप में मुफ्त वितरण कर दिया जाता है जिससे राज्य को करोड़ों रूपये के राजस्व की हानि होती है;	इस स्टेडियम का निर्माण BCCI द्वारा HEC की जमीन पर स्वक्ति पोषण से कराया गया है। भूमि का आवंटन भी माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में हुआ। सरकार की सम्पत्ति नहीं होने की परिस्थिति में टिकट विक्रय अथवा अन्य आंतरिक प्रबंधकीय व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम में आयोजित प्रत्येक अंतराष्ट्रीय मैच से करोड़ों रूपये की राजस्व हानि से बचने के लिये स्टेडियम की सीटों की सही–सही गणना कराकर समस्त 40 हजार टिकटों से राजस्व संग्रहण का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार का वणिज्यकर विभाग सरकारी नियमानुसार राजस्व संग्रहण करती है। किसी प्रकार की राजस्व क्षति की परिस्थिति में नीति व नियम के अनुरूप कार्रवाई करने में सक्षम है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08–72/16/क 30 / राँची, दिनांक 22/2/16

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1204/वि०स० दिनांक 18.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22-2-16

(विनय कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(44)

श्रीमती गंगोत्री कुजुर, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–20

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अब तक कोई कोचिंग एक्ट नहीं बनाया गया है, जिसके अभाव में प्रतिभाशाली और बीपीएल छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और कोचिंग संस्थानों के रवैये से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है ?	उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यभर के प्राइवेट कोचिंग सेंटरों का सर्वे कराकर इनको पंजीकृत करते हुए इनसे कर संग्रह और एक समुचित दिशा निर्देश के तहत कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में समुचित कदम उठाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तु स्थिति यह है कि सदृश्य मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोक हित याचिका (PIL) दायर है, जिसमें विभागीय पक्ष रखा जा चुका है। कोचिंग संस्थानो के संचालन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के पश्चात तद्नुरूप कार्रवाई की जानी है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2–29/2016.....468...../ रांची दिनांक–19/02/2016...../

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–853 दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/02/2016

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।